11.09.19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 27.09.19 को पेश हो। [signature]

27/9/19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

[stamp: ...य उपखण्ड अधिकारी, धोद ...यालय सीकर (राज.)]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी— राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा— राजस्व वाद / 10 / 2016

1. मन्शाराम पुत्र मोटाराम
2. भींवसिंह पुत्र मोटाराम
3. रिछपाल पुत्र मोटाराम
4. पतासी पुत्री मोटाराम
5. कमला पुत्री मोटाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. पन्नाराम पुत्र रडमल
2. सुखाराम पुत्र रडमल
3. जैसाराम पुत्र तिलोकाराम
4. भागीरथमल पुत्र तिलोकाराम
5. मदन पुत्र तिलोकाराम
6. बलबीर पुत्र तिलोकाराम
7. अणची बेवा भूदाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर

तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं अ.धा. 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री भागीरथमल जाखड़ वकील वादी की ओर से
2. श्री महेश जाखड़ वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 कि ओर से

:निर्णय:—

दिनांक— 27.09.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा सं. 1418 रकबा 1.42 हैक्टेयर वाके तन कासली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है, जिसमें से वादीगण का 15/16 हिस्सा है, जो वादीगण के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है तथा वादीगण ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के हिस्से के बाहमी बंटवारे में आई हुई है तथा वादीगण ही उक्त आराजी पर काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण के हिस्से में अन्य आराजी आई हुई है। यह कि उक्त आराजी के वागदीण बहैसियत खातेदार काश्तकार होने के बावजूद भी सहवन से आराजी में खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है जिसकी रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्ती वादीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है। उक्त आराजी में वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होने के बावजूद भी गलत खातेदारी की आड़ में वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करना चाहते है। वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखलंदाजी कर रहे है तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। 5 दिन पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने, वादीगण के कब्जें काश्त में दखलंदाजी करने व बेदखल करने की धमकी देने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। न्यायालय को दावा सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 8 भूमिधारी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया है। दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश किया गया है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजियात आराजी खसरा सं. 1418 रकबा 1.42 हैक्टेयर वाके तन कासली तहसील धोद जिला सीकर का वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखलंदाजी करने से बाज रहे। उक्त आराजी की जमाबंदी में 15/16 हिस्से पर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने की अज्ञा फरमाई जावे। खर्चा मुकदमा व अन्य दादरसी माननीय न्यायालय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 कि ओर से उनके अभिभाषक श्री महेश जाखड़ ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर वादीगण के वाद के डिक्री किये जाने पर कोई एतराज नहीं है बाबत इकबाली जवाब दावा पेश किया। साक्ष्य में वादीगण ने वाद के समर्थन में मन्शाराम एवं भींवसिंह का शपथ-पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे।

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त दावे में मूल प्रश्न यह है कि क्या विवादित आराजी खसरा सं. 1418 रकबा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम कासली की खातेदारी सहवन से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई या नहीं? पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 वाके ग्राम कांसली के अनुसार खसरा सं. 1418 रकबा 1.42 हैक्टेयर की खातेदारी झुथाराम पुत्र खांगाराम हि.1/16 अणची बेवा भूदाराम तिलोका, पन्नाराम सुखाराम पि. रिड़मल जाति जाट सा. रामपुरा हि. 15/16 के नाम पर दर्ज है। पत्रावली में अन्य ऐसा कोई भी राजस्व रिकॉर्ड संलग्न नहीं है तथा न ही वादीगणों ने पेश किया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी पूर्व में वादीगणों के नाम पर दर्ज थी, जो कालान्तर में सहवन से या राजस्व कार्मिकों की गलती से प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज कर दी गई हो। पुनश्च वादीगणों ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा, काश्त होना बताया है, लेकिन केवल मात्र कब्जे के आधार पर कोई भी व्यक्ति आर.टी.ए. की धारा 88 के तहत उद्घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक दोनों पक्षों(वादीगण एवं प्रतिवादीगण) में सहमति का प्रश्न है, वहां यह स्पष्ट कानूनी सिद्धान्त है कि सहमति के अनुसार कोई भी निर्णय तभी किया जा सकता है, जबकि दोनों पक्षों की सहमति विधि के अनुसार हों। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच सहमति आर. टी.ए. की धारा 88 के प्रावधानों के विरूद्ध है। उक्त सहमति के अनुसार खातेदारी की उद्घोषणा करने से सरकार को स्टाम्प ड्यूटी की क्षति भी कारित होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हों। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

मन्शाराम आदि — बनाम — पन्नाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर– 10/2016 — निर्णय दिनांक– 27.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री भागीरथमल जाखड़ मिनजानिब मुददई रूबरू श्री महेश जाखड़ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह आज तारीख 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल		जोड़	
जोड़			

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner